अनुबंध-I

रिक्ति परिपत्र सं. 1/डीएसआईआर/2007

पात्रता मापदण्ड

केन्द्रीय अथवा राज्य सरकारों अथवा विश्वविद्यालयों अथवा मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों अथवा भारत अथवा विदेश में स्थित किसी अर्द्ध सरकारी सांविधिक अथवा स्वायत्त संगठनों में कार्यरत वैज्ञानिक अथवा प्रौद्योगिकीविद, जो नीचे विनिर्दिष्ट शैक्षिणक अर्हताएं और अनुभव रखते हैं :

I. **अनिवार्य अर्हताएं (सभी पदो के लिए) :**

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय अथवा समकक्ष से प्राकृतिक/कृषि विज्ञान में स्नातकोत्तर की उपाधि अथवा अभियांत्रिकी/प्रौद्योगिकी में स्नातक की उपाधि ।

II. **वांछनीय योग्यताएं (सभी पदों के लिए) :**

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से प्राकृतिक/कृषि विज्ञान में डॉक्टरेट की उपाधि अथवा अभियांत्रिकी/प्रौद्योगिकी/चिकित्सा शास्त्र में स्नातकोत्तर की उपाधि ।

III. **अनुभव:** विभाग में आवेदन प्राप्त होने की अन्तिम तिथि तक

वैज्ञानिक 'सी' :	1) सदृश पद धारण करने वाले; अथवा 2) 8000-13500/- रूपए अथवा समकक्ष वेतनमान में 5 वर्ष की नियमित सेवा 3) औद्योगिक और शैक्षणिक संस्थानो तथा/अथवा विज्ञान और प्रौद्योगिकी संगठनों में अनुसंधान एवं विकास में चार वर्षो का अनुभव
वैज्ञानिक 'डी' :	1) सदृश पद धारण करने वाले; अथवा 2) 10000-375-15200/- रूपए अथवा समकक्ष वेतनमान में 5 वर्ष की नियमित सेवा 3) औद्योगिक और शैक्षणिक संस्थानों तथा/अथवा विज्ञान और प्रौद्योगिकी संगठनों में अनुसंधान एवं विकास में आठ वर्षो का अनुभव, जिनमें से चार वर्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्यक्रम, योजना, विकास और समन्वयन में चार वर्ष का अनुभव होना चाहिए।

सामान्य शर्तें:

1. प्रतिनियुक्ति की अवधि इस नियुक्ति के ठीक पहले किसी गैर संवर्गीय पद पर उसी संगठन अथवा अन्य संगठन/केन्द्र सरकार के विभाग में प्रतिनियुक्ति की अवधि को मिलाकर सामान्यत: तीन वर्षों से अधिक नहीं होगी । चुने गए उम्मीदवार दो वर्षों की प्रतिनियुक्ति के पश्चात उपयुक्त पाए जाने पर समाविष्ट कर लिए जाएगें ।

2. प्रतिनियुक्ति/समावेशन पर नियुक्ति की अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि को 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए ।

3. सहायक श्रेणी में विभागीय उम्मीदवार, जो लचीली सम्पूरक योजना (एफसीएस) के अंतर्गत सीधे स्वस्थाने पदोन्नति की पंक्ति में हैं, वे प्रतिनियुक्ति/समावेशन पर नियुक्ति के लिए विचार-विमर्श के पात्र नहीं होंगे।

4. इन पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को बाद में अपनी उम्मीदवारी वापस लेने की अनुमति नहीं होगी ।